

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कर्मोंक: सामान्य/06/2025

दिनांक:- 04/06/2025

आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 8 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य सरकार की अधिसूचना कर्मोंक प.1(01)न्याय/2025 दिनांक 02.06.2025 द्वारा निम्नलिखित नवसृजित विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश के पीठासीन अधिकारियों को निम्नानुसार उसके नाम के आगे अंकित सेशन न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु एतद् द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त करता है:-

क.सं.	न्यायालय का नाम	सेशन न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1.	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 संख्या 2, हनुमानगढ़	सेशन न्यायालय, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
2.	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 संख्या 2, सवाई माधोपुर	सेशन न्यायालय, सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
3.	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, झुंझुनू	सेशन न्यायालय, झुंझुनू	झुंझुनू
4.	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रतापगढ़	सेशन न्यायालय, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
5.	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, टोंक	सेशन न्यायालय, टोंक	टोंक
6.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नदबई जिला भरतपुर	सेशन न्यायालय, भरतपुर	नदबई
7.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चाकसू जयपुर महानगर प्रथम	सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम	चाकसू

आदेशानुसार,


(वंचल मिश्रा)

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

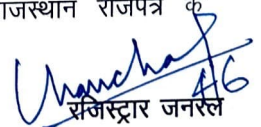
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कर्मोंक - सामान्य/II/06/2025/977

दिनांक:- 04/06/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
2. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
3. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
4. संबंधित न्यायालय।
5. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।


रजिस्ट्रार जनरल